



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाइट : bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 05/10/2021

अधिसूचना

संख्या-नि. प्रा.नि. 1-07/2021 1533... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन देय हैं या जो अधिक्रमित/ विघटित हैं, या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न अनुलग्नक-3 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 15.11.2021 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 1169 दिनांक 09.08.2021 एवं पत्रांक 1218 दिनांक 13.08.2021 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.07.2021 निर्धारित की गई है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 03.09.2021 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा- 14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-

- i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
- iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
- vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
- vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र- ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 16.10.2021 (शनिवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0162-2231562) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट- <http://bsea.bihar.gov.in> पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

क्र०	सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय	प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना
i.	सूचना के प्रकाशन की तिथि के तुरंत पश्चात्	ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है।
ii.	संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात्	निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, को प्रविष्ट करना है।

iii.	मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में	मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा), को प्रविष्ट करना है।
iv.	मतदान के तुरंत पश्चात्	सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना (प्रपत्र ई0 18 से संबंधित), को प्रविष्ट करना एवं तदोपरांत डाउनलोड Pdf का Black and White mode में स्कैन कर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना है।
v.	मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर	पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु अद्यतनीकरण के पश्चात् की अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है) को प्राधिकार के पत्र-469 दिनांक 25.02.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना है।

8. प्रपत्र ई0-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्धारित समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके लिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।

9. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) को प्राधिकार के वेबसाइट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड किया जाना है। इससे संबंधित प्राधिकार के पत्रांक 469 दिनांक 25.02.2021 एवं पत्रांक 530 दिनांक 03.03.2021 तथा इस पत्र के साथ संलग्न दिशा-निर्देश सभी पदाधिकारियों को पूर्व में भी संसूचित किया जा चुका है। ये पत्र प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

10. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा 700 मतदाताओं के बजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों का निर्धारण तुरन्त कर लेना है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाए गए मतदान केन्द्रों के लिए समिति को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक किया गया है। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

11. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 16.10.2021 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 16.10.2021 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के

चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

12. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अद्यतन निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिबद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाइजर/ साबुन पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जाएगी। हैंड सेनिटाइजेशन/ साबुन पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

(पुरुषोत्तम पासवान)
सचिव

ज्ञापांक : 1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(सचिव)

ज्ञापांक : 1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं०) से अनुरोध है कि इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी संसमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (सं. सं०) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in> पर

उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उपलब्ध है।


सचिव

ज्ञापांक :1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्पेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, कंतीरा, आरा- 802301/ प्रबंध निदेशक, कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गौरवगढ़, वार्ड नं०-4, किशनपुर रोड, पोस्ट+जिला- सुपौल, पिन नं०-852131/ प्रबंध निदेशक, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, गया डेयरी, कटारी हील रोड, गया- 823001/ प्रबंध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट- हरपुर एलौथ, जिला- समस्तीपुर- 848101/ प्रबंध निदेशक, विक्रमशीला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मायागंज, हॉस्पिटल रोड, भागलपुर- 812001/ प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., मुजफ्फरपुर डेयरी, पोस्ट-कलवारी, मुजफ्फरपुर-843108/ प्रबंध निदेशक, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बरौनी, पिन नं०- 851112, जिला- बेगूसराय/ प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलीपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, फुलवारीशरीफ, पटना- 801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक से अनुरोध है कि वे दुग्ध समिति की उपविधियाँ दिनांक 11.10.2021 (सोमवार) तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।


सचिव

ज्ञापांक :1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


सचिव

ज्ञापांक :1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

ज्ञापांक :1533..... पटना/ दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ विशिष्ट कार्य पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक/ श्री हरिकिशुन राम, सहायक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	बक्सर	राजपुर	संगरौव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
2	बक्सर	राजपुर	कौनौली	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
3	बक्सर	राजपुर	पानापुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
4	बक्सर	राजपुर	करमा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
5	बक्सर	डुमरौव	अटौव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
6	बक्सर	डुमरौव	सुरौंधा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
7	बक्सर	डुमरौव	कुरुथिआँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
8	बक्सर	डुमरौव	नेनुआँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
9	बक्सर	डुमरौव	कुशलपुर हरनाहॉ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
10	बक्सर	डुमरौव	अरियाँव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
11	बक्सर	डुमरौव	मुगौव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
12	बक्सर	डुमरौव	पिपरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
13	बक्सर	डुमरौव	सम्हार	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
14	कैमूर	कुदरा	सुन्दर बहुआरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
15	कैमूर	कुदरा	तुर्की	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
16	कैमूर	कुदरा	डुमरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
17	कैमूर	कुदरा	सिलौंधा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
18	कैमूर	कुदरा	सलथुआँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
19	कैमूर	दुर्गावती	सावठ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
20	कैमूर	दुर्गावती	घरहरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
21	कैमूर	दुर्गावती	गजधरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
22	कैमूर	दुर्गावती	महुअरियाँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
23	भोजपुर	पीरो	राजापुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
24	भोजपुर	पीरो	चौबेपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
25	भोजपुर	पीरो	मोथी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
26	भोजपुर	पीरो	खिरीकोन	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
27	भोजपुर	पीरो	नोनार	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
28	भोजपुर	पीरो	करवनियाँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
29	भोजपुर	पीरो	बसैयाँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
30	भोजपुर	पीरो	कोथुआँ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
31	भोजपुर	पीरो	लहराबाद	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
32	भोजपुर	पीरो	लहठान	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
33	भोजपुर	पीरो	लोहई फरौरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
34	भोजपुर	पीरो	तार	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
35	भोजपुर	पीरो	तिलाढ़	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
36	भोजपुर	पीरो	कछुई	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
37	भोजपुर	पीरो	गोवर्धन टोला	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
38	भोजपुर	जगदीशपुर	शिवपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
39	भोजपुर	जगदीशपुर	धनगाई	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
40	भोजपुर	जगदीशपुर	इसाढ़ी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
41	भोजपुर	जगदीशपुर	हरनाटाड़	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
42	भोजपुर	जगदीशपुर	केशरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
43	भोजपुर	जगदीशपुर	बरनौव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
44	भोजपुर	जगदीशपुर	केहेन	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
45	भोजपुर	जगदीशपुर	आयर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
46	भोजपुर	जगदीशपुर	उगना	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
47	भोजपुर	जगदीशपुर	तुलसी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
48	भोजपुर	जगदीशपुर	भोराही	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
49	रोहतास	काराकाट	पहरमा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
50	रोहतास	दावथ	महिला कवई	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
51	रोहतास	दावथ	परमडीह	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
52	रोहतास	दावथ	सेमरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
53	रोहतास	दावथ	महिला पड़रिया	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
54	रोहतास	दावथ	परसिया कला	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
55	सहरसा	कहरा	बरियाही	कोसी दुग्ध संघ, सुपौल
56	जहानाबाद	रतनी फरीदपुर	मालीचक	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
57	जहानाबाद	रतनी फरीदपुर	हसनपुरा	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
58	जहानाबाद	काको	मुबारकपुर	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
59	गया	खिजरसराय	महिला छतहर	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
60	गया	खिजरसराय	विन्दील	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
61	गया	टिकारी	उल्ले	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
62	गया	टिकारी	मल्हेया	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
63	गया	टिकारी	रामपुर	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
64	गया	टिकारी	खड़गपुर	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
65	गया	टिकारी	डीहुरु	मगध दु०उ०स०स०लि०, गया
66	मधुबनी	पंडौल	नवहथ	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
67	मधुबनी	रहिका	बभनगरी	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
68	दरभंगा	बहेड़ी	बेलही	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
69	दरभंगा	बहेड़ी	जुडिया	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
70	दरभंगा	बहेड़ी	आदावन	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
71	समस्तीपुर	पूसा	जगदीशपुर महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
72	समस्तीपुर	पूसा	धरमागतपुर बथुआ	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
73	समस्तीपुर	समस्तीपुर	राजखंड	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
74	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रामनाथपुर छतौना	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
75	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रसलपुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
76	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रामपुरा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
77	समस्तीपुर	समस्तीपुर	शम्भूपट्टी	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
78	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रानीटोल	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
79	समस्तीपुर	समस्तीपुर	परासरधामपुनास	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
80	समस्तीपुर	उजियारपुर	अंडाहा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
81	समस्तीपुर	उजियारपुर	सगमा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
82	समस्तीपुर	उजियारपुर	कमलपुरा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
83	समस्तीपुर	उजियारपुर	अमरसिंहपुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
84	समस्तीपुर	उजियारपुर	उजियारपुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
85	समस्तीपुर	उजियारपुर	नाजिरपुर महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
86	समस्तीपुर	उजियारपुर	जवाहरपुर महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
87	समस्तीपुर	उजियारपुर	शेखपुरा महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
88	समस्तीपुर	उजियारपुर	लखुआ महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
89	समस्तीपुर	उजियारपुर	चांदचौर मथुरापुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
90	समस्तीपुर	उजियारपुर	भगवानपुर कमला महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
91	समस्तीपुर	उजियारपुर	मथुरापुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
92	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मुख्तियारपुर	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
93	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	घटहो	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
94	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	मनिका महिला	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
95	समस्तीपुर	ताजपुर	मोहिउद्दीनपुर रजवा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
96	समस्तीपुर	ताजपुर	भरोखरा	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
97	समस्तीपुर	ताजपुर	चकमेघौल	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
98	समस्तीपुर	ताजपुर	आशा-ददरी	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
99	समस्तीपुर	ताजपुर	बाजिदपुर सरसौना	मिथिला दु०उ०स०स०लि०, समस्तीपुर
100	बांका	रजौन	चकझोरा	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
101	बांका	रजौन	कठरंग	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
102	बांका	रजौन	कोतवाली	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
103	बांका	रजौन	बड़ी मुरादपुर	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
104	भागलपुर	सन्हौला	महेशपुर	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
105	भागलपुर	सन्हौला	सकरामा	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
106	जमुई	ईस्लामनगर	अवगिला	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
107	जमुई	सिकन्दरा	घघौर	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
108	जमुई	सिकन्दरा	खेवसर	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
109	जमुई	सिकन्दरा	भट्ठा	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
110	जमुई	सिकन्दरा	नावाडीह	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
111	जमुई	सिकन्दरा	करमा	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
112	जमुई	गिद्धौर	धोवघट	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
113	जमुई	जमुई	वरहजाता म०	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
114	जमुई	जमुई	लखनपुर	विक्रमशीला दु०उ०स०स०लि०
115	मुजफ्फरपुर	सकरा	केशोपुर महिला	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
116	मुजफ्फरपुर	सकरा	पिपरी महिला	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
117	मुजफ्फरपुर	सकरा	बिचली पचदही	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
118	मुजफ्फरपुर	सकरा	बगाही	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
119	मुजफ्फरपुर	सकरा	सिहों	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
120	मुजफ्फरपुर	सरैया	अभुचक	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
121	मुजफ्फरपुर	सरैया	आनन्दपुर गंगोलिया	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
122	मुजफ्फरपुर	सरैया	रूपनाथ	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
123	मुजफ्फरपुर	सरैया	गहिलोपूर्वी महिला	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
124	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	जीगरहों	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
125	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	महुआही	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
126	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	पिठवा	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
127	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	श्रीपुर	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
128	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	बरवाखुर्द	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
129	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	चम्पापुर खास	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
130	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	घुघुआ	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
131	सीतामढ़ी	बोखड़ा	भाउरगढ़	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
132	सीतामढ़ी	नानपुर	मेदनीपुर	तिरहुत दु०उ०स०स०लि०
133	खगड़िया	परबत्ता	नयागाँव पंचमुखी	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
134	खगड़िया	परबत्ता	मरैया	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
135	खगड़िया	परबत्ता	बलहा	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
136	खगड़िया	परबत्ता	शिरोमनीटोला	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
137	खगड़िया	परबत्ता	श्रीरामपुर टुठी	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
138	खगड़िया	परबत्ता	मीनापुर	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
139	खगड़िया	परबत्ता	वैसा बिठला	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
140	खगड़िया	परबत्ता	कन्हैयाचक	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
141	बेगूसराय	भगवानपुर	जगदीशपुर	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
142	बेगूसराय	भगवानपुर	जयरामपुर	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
143	बेगूसराय	भगवानपुर	औगान	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
144	बेगूसराय	भगवानपुर	बगरस म०	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
145	बेगूसराय	भगवानपुर	चक्का सहलौरी	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
146	बेगूसराय	भगवानपुर	टॉड़ी	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
147	बेगूसराय	भगवानपुर	बसही म०	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
148	बेगूसराय	भगवानपुर	धुसहा	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
149	बेगूसराय	डंडारी	राजोपुर	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
150	बेगूसराय	वीरपुर	जगदर	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
151	बेगूसराय	वीरपुर	गाड़ा	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
152	बेगूसराय	वीरपुर	डीह	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
153	बेगूसराय	वीरपुर	सरौंजा	देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद दु०उ०स०स०लि०
154	पटना	बिक्रम	मोजकका	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
155	पटना	बिक्रम	म० निसरपुरा	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
156	पटना	बिक्रम	दतियाना	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
157	पटना	बिक्रम	मसौढा तेलपा	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
158	पटना	बिक्रम	अम्हारीपुर मठिया	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
159	पटना	बिक्रम	बेरर	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
160	पटना	बिक्रम	म० गोखरी	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
161	पटना	पालीगंज	पैपुरा काला	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
162	पटना	नौबतपुर	द० सरासत	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
163	पटना	नौबतपुर	विच्छेदी	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
164	वैशाली	हाजीपुर	मिल्की	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
165	वैशाली	हाजीपुर	म० बेरई	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
166	वैशाली	हाजीपुर	म० बरुआ	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
167	वैशाली	जन्दाहा	हुलबुलिया	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
168	वैशाली	जन्दाहा	महिसौर दक्षिणी	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
169	वैशाली	जन्दाहा	माधोपुर	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
170	वैशाली	जन्दाहा	पोरार	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
171	वैशाली	जन्दाहा	बुचौली	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
172	वैशाली	जन्दाहा	म० मुर्तुजापुर	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
173	वैशाली	जन्दाहा	म० जसपरहा	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
174	वैशाली	जन्दाहा	जसपरहा	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
175	वैशाली	जन्दाहा	मुकुन्दपुर भात	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
176	नालन्दा	थरथरी	वेरमा	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
177	नालन्दा	थरथरी	चिन्तामनचक	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
178	नालन्दा	थरथरी	हाँसेपुर	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
179	नालन्दा	सिलाव	फतेहपुर (R)	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०
180	नालन्दा	सिलाव	नीरपुर जलालपुर	वैशाल पाटलीपुत्र दु०उ०स०स०लि०

प्रपत्र- ई-1

सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंडके अन्तर्गत.....(समिति का नाम)
के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,
मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
सदस्य	12 पद
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• अति पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• सामान्य वर्ग	06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को

..... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक
(नामांकन पत्र दाखिल की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को..... (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न बजे के पूर्व तक
(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या

मतदान केन्द्र का नाम

(1)

(2)

(3)

(ix) मतगणना दिनांककोबजे से (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*जो लागू न हों, उसे काट दें।

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- ई 1 में सूचना का प्रकाशन	16.10.2021 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	01.11.2021 (सोमवार) एवं 02.11.2021 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	03.11.2021 (बुधवार) एवं 05.11.2021 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	08.11.2021 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	15.11.2021 (सोमवार) 06:30 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	15.11.2021 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली

व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनेटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनेटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोजेबल ग्लव्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से सेनेटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनेटाईजर से पुनः सेनेटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोजेबल ग्लव्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यू पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।